

कार्यालय-जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद

पत्रांक172/2024/

दिनांक 13/03/2024....

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक

प्रभु कैलाश स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, कैलाश नगर,
सन्धुआ मोड़ औरंगाबाद

औरंगाबाद, दिनांक.....


विषय:- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रायोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली अन्तर्गत विद्यालय को प्रदत्त प्रस्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन-पत्र के आलोक में किये गये प्रक्रिया के उपरान्त आपके विद्यालय प्रभु कैलाश नगर, सन्धुआ मोड़, औरंगाबाद को कक्षा प्रथम से अष्टम तक संचालन हेतु तीन वर्षों अर्थात् मार्च 2021 से फरवरी, 2024 की अवधि के लिए आवंटित औपबंधिक प्रस्वीकृति संख्या-RTE-AUR-0332/2021 का प्रदान किया जाता है। प्रदत्त प्रस्वीकृति इसके साथ संलग्न पत्र में अंकित निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन है।

आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति की संख्या- RTE-AUR-0332/2021 है। कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाय।

विश्वासमाजन


(मनोज कुमार)


जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान, औरंगाबाद।

ज्ञापांक 114/20/ औरंगाबाद, दिनांक 13-03-2024


प्रतिलिपि:

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा), औरंगाबाद एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित विद्यालय को विभाग द्वारा औपबंधिक प्रस्वीकृति दी गई है, जिनका विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र मान्य है तथा जिनका प्रतिहस्ताक्षरण आपके द्वारा अभिलेखों के मिलान उपरान्त किया जाना है।



जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी


प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान औरंगाबाद


Manager

Prabhu Kailash School of Excellence
Kailash Nagar, Santhua More,
Aurangabad Bihar-824102

Manager

Prabhu Kailash School of Excellence
Kailash Nagar, Santhua More,
Aurangabad Bihar-824102


Principal

Prabhu Kailash School of Excellence
Kailash Nagar, Santhua More,
Aurangabad Bihar-824102